



संदर्भ सं. राबै.पुनर्वित्त (अल्पावधि नीति) / 201/ ए – 10 / 2021-22

परिपत्र सं. 129 / पुनर्वित्त- 43 /2021

16 जून 2021

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंक

महोदय

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के उपायों के लिए दिशानिर्देश – अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) ऋण का मध्यावधि ऋण में परिवर्तन – वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पुनर्वित्त नीति

कृपया दिनांक 16 जुलाई 2020 के हमारे परिपत्र संख्या 193 / डीओआर-67/2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें वर्ष **2020-21** के लिए अल्पावधि कृषि ऋणों को मध्यावधि ऋण में बदलने के लिए और मौजूदा मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों का पुनर्निर्धारण / वर्तमान मध्यावधि ऋणों (परिवर्तन) का पुनः अनुसूचिकरण करने के लिए पुनर्वित्त नीति के दिशानिर्देश भेजे गए थे। ऋण की यह सुविधा जो किसानों, जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है, को राहत प्रदान करने की परिकल्पना करती है, की समीक्षा की गई है और इसे वर्ष **2021-22** के लिए मूलतः उसी व्यापक रूप से जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

2. वित्तीय वर्ष **2021-22** के लिए मध्यावधि परिवर्तन / पूनर्निर्धारण / पूनः अनुसूचिकरण ऋणों पर पुनर्वित्त की ब्याज की दर बैंकों द्वारा निर्धारित अंतिम उधारकर्ताओं से लिए जाने वाले ब्याज से 300 बेसिस पॉइंट्स कम होगी, अथवा 8.10% प्रति वर्ष की न्यूनतम ब्याज दर के

Guidelines for relief measures to farmers affected by natural calamities - Conversion of ST (SAO) loans into Medium Term loans - Refinance Policy for the year 2021-22

Please refer to our circular No. 193/DoR-67/2020 dated 16 July 2020 communicating the refinance policy for conversion of short-term agricultural loans into medium term loans and rephasing /reschedulement of existing MT (conversion) loans for the year F. Y. **2020-21**. This line of credit which envisages providing relief to farmers, whose crops have been damaged, due to natural calamities has since been reviewed and it has been decided to continue broadly, with the same policy for the year **2021-22**.

2. The rate of interest on refinance on MT conversion / rephasing / reschedulement of loans for F. Y. **2021-22** will be 300 basis points below that charged by Banks to the ultimate beneficiaries subject to a minimum interest rate of 8.10% p.a. or as decided by NABARD from time to time. The rate

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >>

<p>अधीन होगी या जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा तय की गयी होगी। बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।</p> <p>3. अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।</p> <p>4. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।</p>	<p>of interest charged by the banks would be as per the RBI guidelines.</p> <p>3. Other terms and conditions remain unchanged</p> <p>4. Please acknowledge receipt of this circular to our Regional Office.</p>
---	---

भवदीय

(एल आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: 2 पृष्ठ

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

अनुबंध I/ Annexure I

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत उपायों पर दिशानिर्देश – अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वर्ष 2021-22 हेतु पुनर्वित्त नीति

Guidelines on relief measures to farmers affected by natural calamities - Conversion of ST (SAO) loans into Medium Term loans - Refinance Policy for the year 2021-22 for Regional Rural Banks

1. आरआरबी हेतु अलग-अलग सीमा स्वीकृत की जाएगी.

2. पात्रता मानदंड:

1. Individual limit will be sanctioned to RRB.

2. **Eligibility norms:**

वर्ष 2021-22 हेतु अतिरिक्त **अल्पावधि (मौकृप)** सीमा की स्वीकृति के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड **मध्यावधि** (परिवर्तन) की स्वीकृति के लिए निम्नानुसार लागू होंगे:

Eligibility norms as stipulated for sanction of Additional ST (SAO) limits for the year 2021-22 will be applicable for sanction of MT (conversion) as under:

(क) **लेखा-परीक्षा:** वर्ष 2019-20 हेतु क्षेत्रीय बैंकों की लेखा-परीक्षा पूरी होनी चाहिए और वित्तीय विवरण सहित संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड को प्राप्त हो जानी चाहिए. जहां 2020-21 के लिए लेखा-परीक्षा पूरी हो गई है और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी गई है, इसे वित्तीय विवरणों के साथ नाबार्ड को प्रस्तुत किया जा सकता है.

(a) **Audit:** Audit of RRB should have been completed for the year 2019-20 and the relative audit reports together with financial statements should have been received by NABARD. Wherever audit for 2020-21 is completed and audit report issued, the same may be submitted to NABARD together with financial statements.

(ख) सीआरएआर का अनुपालन

दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में सीआरएआर 9% या उससे अधिक होनी चाहिए. दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में 9% से कम लेकिन दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में 9% से अधिक सीआरएआर वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी पात्र होंगे.

(b) Compliance of CRAR

CRAR should be 9% or more as on 31.03.2020. RRBs with CRAR less than 9% as on 31.03.2020 but more than 9% as on 31.03.2021 would also be eligible.

3. एसएफ/एमएफ/ओएफ हेतु केवल वर्तमान अल्पावधि फसल ऋण अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तन के पात्र हैं.

3. Only current short term crop loans are eligible for conversion for maximum period upto 5 years for SF/MF/OF.

4. परिवर्तन / पुनश्चरणीकरण/ पुनःअनुसूचीकरण के ऐसे ऋण जो अनुबंध II में निर्दिष्ट कुछ शर्तों और इस संबंध में समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों को पूरा करते हैं, तो ऐसे मामलों में नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध होगी. अल्पावधि (परिवर्तन) हेतु हिस्सेदारी निम्नानुसार होगी:

नाबार्ड पुनर्वित्त- 70%, आरआरबी का हिस्सा- 5% और प्रायोजक बैंक का हिस्सा – 25%

4. Refinance support from NABARD will be available in respect of such conversion/ rephasing / reschedulement of loans subject to fulfillment of certain prescribed conditions as given in Annexure II and other instructions issued from time to time. The sharing pattern for MT (Conversion) would be as under:

NABARD refinance - 70%, RRB share - 5% and Sponsor Bank share - 25%

फसल बीमा दावों में नाबार्ड का आनुपातिक हिस्सा, यदि कोई हो, तो बीमा कंपनियों द्वारा निपटाये जाने के बाद इसे तत्काल नाबार्ड को भेज दिया जाना चाहिए. इसके अलावा, नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 22 में निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि फसल का नुकसान 33% और 50% के बीच हुआ है तो नाबार्ड द्वारा अल्पावधि(परिवर्तन) सहायता 2 वर्ष तक सीमित होगी और 50% या इससे अधिक फसल नुकसान के मामले में अधिकतम 5 वर्ष (एक वर्ष के अधिस्थगन, पुनः अनुसूचीकरण, पुनश्चरणीकरण आदि, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए) तक सीमित होगी.

The proportionate share of NABARD in the crop insurance claims, if any, subsequently settled by the insurance companies will have to be passed on to NABARD immediately. Further, the MT (Conversion) assistance from NABARD will be restricted to 2 years in case crop loss is between 33% and 50% and a maximum of 5 years in case of crop loss of 50% or more (including period of one year moratorium, reschedulement, rephasing etc. if any), in accordance with the provisions contained in Sec. 22 of the NABARD Act, 1981.

5. अल्पावधि (परिवर्तन / पुनश्चरणीकरण/ पुनः अनुसूचीकरण) ऋणों के समक्ष बैंकों को प्रदत्त पुनर्वित्त संबंधी अन्य नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

5. The other terms and conditions for extension of refinance to banks against MT (conversion/ rephasing/ reschedulement) loans will be as under:

क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अल्पावधि(परिवर्तन / पुनश्चरणीकरण/ पुनः

अनुसूचीकरण) ऋणों के पुनर्वित्त पर ब्याज की दर, बैंकों द्वारा अंतिम लाभार्थियों से प्रभारित ब्याज दर से 300 बेसिस पॉइंट कम, लेकिन न्यूनतम 8.10 % वार्षिक या नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी. बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दर आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार होगी.

a) The rate of interest on refinance on MT conversion/ rephasing/ reschedulement of loans for F. Y. 2021-22 will be 300 basis points below that charged by Banks to the ultimate beneficiaries subject to a minimum interest rate of 8.10% p.a. or as decided by NABARD from time to time. The rate of interest charged by the banks would be as per the RBI guidelines.

ख) मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, आरआरबी को चूक की अवधि के लिए चूक की राशि पर 10.25% वार्षिक दर से नाबार्ड को ब्याज देना होगा. दंडात्मक ब्याज दरें समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं.

b) In the event of default in repayment of principal and payment of interest, the RRB will be liable to pay to NABARD, interest on the amount of default at 10.25% p.a. for the period for which the default persists. The penal interest rates are subject to revision from time to time.

ग) बैंकों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने हेतु नाबार्ड से पुनर्वित्त आहरण के लिए स्वीकृति की तारीख से समान्यतः एक से तीन माह का समय प्रदान किया जाता है और प्रत्येक मामले की महत्ता के आधार पर समय-सीमा में वृद्धि की जा सकती है. रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए इस अवधि को 01.04.2021 से 31.03.2022 तक माना जाता है.

c) Normally one to three months' time is provided for drawal of NABARD refinance from the date of sanction for enabling the banks to complete the necessary formalities and extension is provided on merits of each case. For reporting purpose, the period is taken as 01.04.2021 to 31.03.2022.

घ) राजस्व प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व का स्थगन/ की माफी

d) Suspension/remission of land revenue by revenue authority/State Government

6. प्रभावित उधारकर्ता जिनके अल्पावधि (मौकूप) ऋणों को अल्पावधि (परिवर्तन) ऋणों में परिवर्तित किया गया है, उन्हें नई फसल उगाने के लिए उनकी पात्रता, वित्तमान, चुकौती क्षमता आदि के आधार पर नए फसल ऋण दिए जाने चाहिए.

6. The affected borrowers whose ST (SAO) loans have been converted into MT (Conversion) loans have to be extended fresh crop loans as per their eligibility, scale of finance, repaying capacity etc. for raising fresh crops.
7. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि ऋणों के मामलों में विवेकपूर्ण मानदंडों एवं एनपीए वर्गीकरण का निर्णय आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के नुसार किया जाना चाहिए.
7. On the treatment of agricultural loans affected by natural calamities for the purpose of prudential norms and NPA classification, norms fixed by RBI should be followed.
8. किसान के स्तर पर वास्तविक परिवर्तन होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिवर्तन प्रस्ताव नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
8. Proposal for the conversion should be submitted to NABARD Regional office within one year from the date of actual conversion at farmer's level.

अनुबंध II/ Annexure II

अल्पावधि (मौक्य) ऋणों के परिवर्तन की अनुमति हेतु औपचारिकताएं/ पूर्व- अपेक्षाएँ Formalities / Pre-requisites for permitting conversion of ST (SAO) loans

परिवर्तन सुविधाएं प्रदान करने हेतु निम्नलिखित औपचारिकताएं/ पूर्व-अपेक्षाएँ हैं

The following formalities / pre-requisites are suggested for providing conversion facilities:

1.(क) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, केन्द्र/राज्य सरकार क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसल की उपज में नुकसान का जायजा लेकर प्राकृतिक आपदाओं की घोषणा पर निर्णय ले सकती है और घोषणा/प्रमाणपत्र जारी कर सकती है. किसी क्षेत्र/तालुका /मंडल/विकास खंड (जैसा भी मामला हो) में फसल नुकसान 33% या उससे अधिक होने की स्थिति में बैंक ऋणों का पुनःअनुसूचीकरण किया जा सकता है.

1.(a) In the event of a natural calamity, the Central/State Government may decide on the declaration of natural calamities by conducting crop cutting experiments to determine the loss in crop yield and issue declarations/certificates. The crop loss in the particular area/taluka/mandal/block (as the case may be) should be 33% or more to trigger reschedulement of loans from banks.

1.(ख) भारी बाढ़ आदि जैसी गंभीर स्थितियों में, जब यह काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और/या भूमि और अन्य संपत्तियों का व्यापक नुकसान हुआ है, ऐसे में विशेष रूप से आयोजित एसएलबीसी/डीसीसी बैठकों में राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, जिसमें संबंधित सरकारी पदाधिकारी/ जिला अधिकारी फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से 'अन्नेवारी' (फसल नुकसान का प्रतिशत- जिसे किसी भी नाम से जाना जाए) का अनुमान न लगाने के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं और प्रभावित आबादी को राहत प्रदान करने का निर्णय प्रत्यक्ष रूप से देखकर / दृश्य तस्वीर के आधार पर लिया जा सकता है.

1.(b) In case of extreme situations such as wide-spread floods, etc. when it is largely clear that most of the standing crops have been damaged and/or land and other assets have suffered a wide-spread damage, the matter be deliberated by State Government/District Authorities in the especially convened SLBC/DCC meetings where the concerned Government functionary/District Collector shall explain the reasons for not estimating 'Annewari' (percentage of crop loss – by whatever name called) through crop cutting experiments and that the decision to provide relief for the affected populace needs to be taken based on the eye estimate/visual impressions.

हालांकि, दोनों ही मामलों में डीसीसी/एसएलबीसी को इस प्रकार की घोषणाएँ करने से पहले स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना होगा कि फसल नुकसान 33% या इससे अधिक हुआ है.

In both the cases, however, DCCs/SLBC have to satisfy themselves fully that the crop loss has been 33% or more before acting on these pronouncements.

2. सामान्यतः बैंक, प्रभावित किसान-उधारकर्ताओं से प्राकृतिक आपदा की घटना के वर्ष में देय ऋण/मध्यावधि (परिवर्तन) फसल ऋणों की मूलधन राशि को परिवर्तित / पुनश्चरणीकृत / पुनःअनुसूचित करते हैं। लेकिन, राज्य सरकारों द्वारा फसलों के गंभीर नुकसान घोषित करने और इस प्रायोजन हेतु गठित एसएलबीसी/ कार्य बल/ संचालन समिति द्वारा इसे स्वीकार किए जाने पर परिवर्तन / पुनश्चरणीकरण/ अनुसूचीकरण हेतु पात्र ऋणों के संबंध में लघु किसानों/ सीमांत किसानों द्वारा देय ब्याज की राशि एक वर्ष के लिए स्थगित की जा सकती है। अन्य किसानों के ब्याज के स्थगन के बारे में संबन्धित बैंक अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा, बैंकों द्वारा ब्याज स्थगन की अनुमति तभी दी जानी चाहिए, इन बैंकों का संसाधन आधार इसकी अनुमति दे और उन्हें किसी उच्च वित्तपोषण एजेंसियों से वित्तीय सहायता का सहारा नहीं लेना पड़े।

2. Ordinarily, banks may convert / re-phase / reschedule only the principal amount of crop loans / instalments of MT (Conversion) loans due in the year of occurrence of natural calamity from the affected farmer-borrowers. However, in case of severe damage to crops as declared by the State Governments and accepted by SLBC / Task Force / Steering Committee constituted for the purpose, the amount of interest due from Small Farmers / Marginal Farmers in respect of the loans eligible for conversion/ rephasing/ rescheduling could be deferred for one year. The individual banks concerned will have to exercise their discretion in regard to the need for deferment of interest in respect of other farmers. Further, interest deferment could be allowed by banks only if, their resource base permits the same, without resorting to any financial assistance from higher financing agencies.

3. पुनर्संरचित ऋणों की चुकौती अवधि आपदा की गंभीरता और इसकी पुनरावृत्ति, आर्थिक आस्तियों को हुए नुकसान और उत्पन्न संकट के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकती है। यदि फसल का नुकसान 33% और 50% के बीच हुआ हो, तो बैंक, चुकौती अवधि को अधिकतम 2 वर्षों (एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित) की स्थगन की अनुमति दे सकता है। यदि फसल नुकसान 50% या इससे अधिक हुआ है, तो चुकौती अवधि को अधिकतम 5 वर्षों (एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित) के लिए बढ़ाया जा सकता है।

3. The repayment period of restructured loans may vary depending on the severity of calamity and its recurrence, the extent of loss of economic assets and distress caused. Banks may allow a maximum period of repayment of upto 2 years (including the moratorium period of 1 year) if the loss is between 33% and 50%. If the crop loss is 50% or more, the restructured period for repayment may be extended to a maximum of 5 years (including the moratorium period of 1 year).

4. पुनर्संरचित सभी मामलों में, कम से कम एक वर्ष की स्थगन अवधि दी जानी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को इस प्रकार के पुनर्संरचित ऋणों हेतु अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं करनी चाहिए।

4. In all cases of restructuring, moratorium period of at least one year should be considered. Further, the banks should not insist for additional collateral security for such restructured loans.

5. बैंक कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं करेगा और यदि परिवर्तित / पुनश्चरणीकृत / पुनःअनुसूचित ऋणों पर कोई ब्याज पहले ही प्रभारित किया गया है तो उसे वापस किया जाना चाहिए.

5. Banks may not levy any additional interest and consider waiving such interest if already charged, in respect of loans converted / rephased / rescheduled by them.

अनुबंध II का परिशिष्ट/ APPENDIX TO ANNEXURE II

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष हेतु निम्नलिखित गाँवों में खरीफ/ रबी* मौसम की खड़ी फसलें (प्राकृतिक आपदा का प्रकार बताएं) के कारण नष्ट हो गईं और 'अन्नेवारी' के रूप में उपज सामान्य उपज के 6 आने से कम अर्थात् 50% से कम/ 33% से 50% के बीच (अर्थात्%) थी(जो भी लागू हो) .

This is to certify that the Standing Crops for the Kharif / Rabi* season for the year in the following villages were damaged due to (state the type of natural calamity) and the yield in terms of "annewari" was less than 6 annas i.e. less than 50% / is between 33% to 50% (i.e - ----%) of the normal yield (whichever is applicable).

क्रम सं. Sr. No.	गाँव का नाम Name of the village	क्षतिग्रस्त फसल का नाम Name of crop damaged	प्रतिशत या आना के रूप में क्षति की सीमा Extent of damage in terms of percentage or annas
1		(क) (ख) (ग)	
2			
3			
4			

* जो लागू न हो उसे काट दें.

* Strike out whichever is not applicable.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में 'अल्पावधि उत्पादन ऋणों को मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों में बदलने के लिए फसल उपज का आकलन करने की वैज्ञानिक विधि' पर भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा जनवरी 1980 में नियुक्त कार्य समूह की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर अन्नेवारी

मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है और 'अन्नेवारी' घोषित करते समय निम्नलिखित अवधारणा/ आधार का विशेष रूप से पालन किया गया है.

It is also certified that the procedure for annewari assessment has been streamlined on the basis of the various recommendations of the Working Group on 'Scientific Method of Assessing Crop Yield in the Event of Natural Calamities for Conversion of Short term Production Loans into Medium Term and Long Term' appointed by the Government of India, Ministry of Agriculture in January 1980 and the following concept / basis in particular have been followed while declaring "annewari".

क) क्षेत्र अवधारण: उपजों के मूल्यांकन हेतु फसलों का निर्धारण करने में क्षेत्र अवधारणा का पालन किया गया है अर्थात् जिले में सामान्य फसल क्षेत्रफल के 70% को कवर करने वाली फसलों को हिसाब में लिया गया है .

a) Area concept: In determining the crops for assessment of yields, the area concept has been followed i.e. the crops which covered 70% of the normal cropped area in the district have been taken into account.

ख) उपजों की तुलना: प्रभावित वर्ष के उपज की तुलना पिछले पांच वर्षों की औसत उपज से की गई है.

b) Comparison of yields: The yields for the affected year have been compared with the average of yields of the preceding five years.

ग) वैज्ञानिक पद्धति: वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर अर्थात् क्रॉप कटिंग प्रयोगों द्वारा औसत फसल के उपज का अनुमान लगाया गया है.

c) Scientific methodology: The average crop yield has been estimated by adopting scientific methodology i.e. by crop cutting experiments.

घ) अन्नेवारी: प्रभावित क्षेत्र हेतु फसल/ फसलों के प्रति हेक्टेअर उपज की तुलना के आधार पर, जिला स्तरीय समिति ने प्रमाणित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में उपज में 50% या अधिक/ 33% से 50% के बीच (जो भी लागू हो) की कमी हुई है और तदनुसार, राजस्व विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए 'अन्नेवारी' घोषित किया गया है.

d) Annewari: On the basis of comparison of per hectare yield of crop /crops for the affected region, the District Level Committee has certified that the yield has gone down by 50% or more / between 33% to 50% (whichever is applicable) in the affected areas and accordingly, the Revenue Department has declared "annewari" for these areas.

जिला अधिकारी/ प्राधिकृत राजस्व अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर

Signature of the District Collector / Authorized Revenue Official and Seal

दिनांक/Date:

